न्यायालय तहसीलदार बाडमेर जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : हुक्मी चन्द

राजस्व आवेदन सं. 08/2024

प्रार्थी–

राज्य सरकार जरिये

बनाम

विप्रार्थी–

पृथ्वीसिंह पुत्र मूलसिंह कौम राव

राजस्व आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक – 10.03.2026

1. इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य यह है कि पटवारी हल्का बाड़मेर शहर द्वारा **दिनांक 12/11/2024** को रिपोर्ट पेश कर अवगत करवाया कि **विप्रार्थी पृथ्वीसिंह पुत्र मूलसिंह कौम राव द्वारा संवंत 2081** के दौरान **ग्राम बाड़मेर शहर** के **खसरा नम्बर 1600 रकबा 3.2375 हैक्टेयर किस्म गै.मु.** भाखर भूमि में से 0.03 **बीघा** भूमि पर **कब्जा पक्का मकान एवं** अतिक्रमण किया है, जिसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावें। पटवारी हल्का बाड़मेर शहर द्वारा विप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत रिपोर्ट पर प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी को जरिये नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। विप्रार्थी का नोटिस बाद तामिल होकर प्राप्त। विप्रार्थी द्वारा नियत सुनवाई पर उपस्थित होकर मुतनाजा भूमि पर अतिक्रमण करना स्वीकार किया तथा भविष्य में इस सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं करना स्वीकार किया।

2. हमने हल्का पटवारी की रिपोर्ट, विप्रार्थी के जवाब एवं विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया। विप्रार्थी ने सरकारी भूमि पर कब्जा कर अतिक्रमण किया है जो अवैध है।

3. अतः विप्रार्थी को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर मुतनाजा भूमि का वार्षिक लगान दर 0.18 रूपये का 50 गुणा रूपये 9/– (अक्षरे नौ रूपये) जुर्माना आरोपित किया जाता है साथ ही विप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते है।

4. भू–अभिलेख निरीक्षक बाड़मेर एवं हल्का पटवारी बाड़मेर शहर को निर्देशित किया जाता हैं कि विप्रार्थी को उक्त सरकारी भूमि से बेदखल कर जुर्माना राशि राज्य कोष में जमा करवाना सुंनिश्चित करें। मिसल बाद तामिल फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

5. निर्णय आज दिनांक 10.03.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Hukmi Chand
Date: 2026.03.23 16:29:40 IST
Reason: SelfAttested

(हुक्मी चन्द)

तहसीलदार बाड़मेर